कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एसई(पीएमजीएसवाई)/एससीईओ–आरडीपेवमेन्ट/2009 डी–5891 दिनॉकः– 29.9.2009

परिपत्र सं.–आर.–09/1

राज्य में सीमेन्ट कंक्रीट सड़कों का चरणबद्ध विकास

राज्य में बिटूमन का उपयोग कर बनाई जा रही सड़कों के स्थान पर सीमेन्ट कंक्रीट की सड़कों के निर्माण की संभावनाओं पर इनके स्थायित्व, रख–रखाव, उपयोगिता, पर्यावरण प्रभाव, तुलनात्मक निर्माण लागत इत्यादि के संदर्भ में विचार कर रिपोर्ट प्रदान कराने हेतु गठित उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के अनुसार निम्न लिखित दिशा–निर्देश तुरन्त प्रभाव से कियान्वन हेतु जारी किये जाते हैः–

1. 50 एम.एस.ए. से अधिक डिजाईन ट्रेफिक वाले राजमार्गो पर पेवमेन्ट का रिकन्स्ट्रक्शन/उन्नयन बिटूमनस ओवरलेज (**Bituminous Overlays**) के स्थान पर सीमेन्ट कंक्रीट पेवमेन्ट का निर्माण कर कराया जावे।
2. सभी राज्य राज मार्गो/जिला सड़कों पर आबादी क्षेत्र में पेवमेन्ट का रिकन्स्ट्रक्शन/उन्नयन बिटूमनस ओवरलेज के स्थान पर सीमेन्ट कंक्रीट पेवमेन्ट/स्टोन पेवमेन्ट का निर्माण कर कराया जावे।
3. शहरी क्षेत्रों में रख–रखाव एवं प्रदूषण के महत्व को ध्यान में रखते हुये प्रमुख सड़कों का रिकन्स्ट्रक्शन/उन्नयन बिटूमनस ओवरलेज के स्थान पर सीमेन्ट कंक्रीट पेवमेन्ट/स्टोन पेवमेन्ट का निर्माण कर कराया जावे।
4. सभी ग्रामीण सड़कों पर आबादी क्षेत्र में नवीन सड़क निर्माण/उन्नयन कार्य में पेवमेन्ट निर्माण में इन्टरलॉकिंग सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक (प्रीकॉस्ट एवं आई.एस. मार्क)/स्टोन पेवमेन्ट का उपयोग किया जावें।
5. सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण में **Services/Facilities** उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

(डी.सी. कटारा)
मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव
सा.नि.वि., राज. जयपुर

क्रमांकः एसई(पीएमजीएसवाई)/एससीईओ–आरडीपेवमेन्ट/2009 डी– दिनॉकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, मान. मंत्री महोदय, सा.नि.वि., राज. सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास व आवासन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, एन.एच./पी.एम.जी.एस.वाई./भवन/एस.एस., सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
7. अति. मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि., संभाग...(समस्त)।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., वृत...(समस्त)।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., खण्ड...(समस्त)।
10. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव/ तकनीकी सहायक–प्रथम/अधीक्षण अभियन्ता (पथ)/अधीक्षण अभियन्ता (बी.ओ.टी.)/अधीक्षण अभियन्ता (यातायात), सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
11. उपनिदेशक (सांख्यिकी)/सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, सा.नि.वि., को पी.डब्ल्यू.डी. की वेबसाईट पर डालने हेतु प्रेषित है।

(डी.सी. कटारा)
मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव
सा.नि.वि., राज. जयपुर